



सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 30.04.2026

- थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा अवैध असलाह-कारसूत के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में, अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 30.04.2026 को थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर बिराहिनपुर से गोगूमऊ की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध मोटर साइकिल सवार व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी, तो उसने अपना नाम हेमन्त शुक्ला पुत्र स्व0 अनुज कुमार शुक्ला निवासी ग्राम दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात बताया गया तथा जमा तलाशी से 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस अवैध 315 बोर बरामद हुआ। अवैध तमंचा रखने के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 3/25 आयुष अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. हेमन्त शुक्ला उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र स्व0 अनुज कुमार शुक्ला निवासी ग्राम दुआरी थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्त ने बताया गया कि वह लोगों में दहशत फहलाने के लिए व गांव में अपना रुआब गाठने के लिए और रंगबाजी के लिए तमंचा और कारतूस अपने पास रखता हूं। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
2. 01 मोटर साइकिल पल्सर UP77AS6860 (धारा 207 MV ACT में सीज)।

अभियुक्त हेमन्त शुक्ला उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 102/2026 धारा 3/25 आयुष अधिनियम थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
- 2- मु0अ0सं0 48/2026 धारा 352/351(3)/324(4)/3(5)/288 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना गजनेर पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 मोहनवीर
- 2- का0 754 विकास कुमार
- 3- का0 715 रोहित कुमार
- 4- का0 379 अनुज कुमार
- 5- रि0का0 378 पवन कुमार